जी.एच.एस.

राजकीय महाविद्यालय

सुजानगढ़ – 331507 (चुरू) राज.

फोन : 01581–280184

Website : www.dce.rajasthan.gov.in/gcsujangarh Email- gcsujangarh@gmail.com

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर से सम्बद्ध

नैक NAAC द्वारा B ग्रेड प्रदत्त

शिक्षा सत्र 2024-25

विवरणिका

प्राचार्य की कलम से

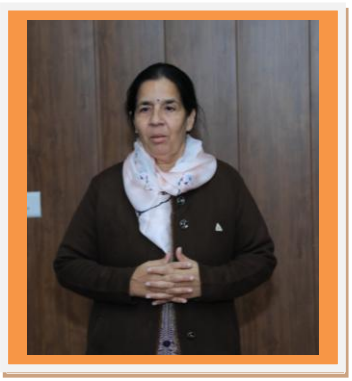

नवीन सत्र 2024–25 के शुभारम्भ की आप सबको हार्दिक बधाईं। उच्च शिक्षा के लिए मिले सुअवसर को अपने जीवन का सुरम्य अवसर बनाने हेतु प्रयासरत आप सब भावी राष्ट्र–निर्माताओं को कोटिशः शुभकामनाएं। यह निर्विवाद सत्य है कि उच्च शिक्षा एवं सुशिक्षा का अवसर हर एक को नहीं मिल पाता हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको यह अवसर मिला है। कृपया पूर्ण निष्ठा एवं अनुशासन के साथ महाविद्यालय में संचालित शैक्षणिक एवं सह–शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेकर अपनी संपूर्ण अंतर्निहित शक्तियों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए अपना सर्वांगीण विकास करें। विद्या अलंकार है, आभूषण है, इससे अपने व्यक्तित्व को संवारें, सजाएं। जीवन में कड़ी मेहनत, लगन और अनुशासन का कोई विकल्प नहीं है। विद्यार्थी जीवन में जो युवा मेहनत करके पढ़ाई करते हैं; अच्छे संस्कार और मूल्य अपने जीवन में अपनाते हैं; आगे चलकर वे अच्छे इंसान एवं राष्ट्र के ज़िम्मेदार नागरिक बनते हैं। विद्यार्थी जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ न गंवाएं, इसका पूरा सदुपयोग अपने भावी जीवन की नींव तैयार करने में करें।

अपनी प्रतिभा को पहचानें और जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ें। फिर वो क्षेत्र चाहे अकादमिक हो, प्रशासनिक हो, व्यवसायिक हो, खेलकूद हो, सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो, राजनैतिक हो या वैज्ञानिक हो। नियमित कक्षाओं में आकर ज्ञानार्जन करें। खेलकूद, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेवें। महाविद्यालय की सम्पत्ति आपकी अपनी सम्पत्ति है अतः इसे बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचाएं। अच्छे और अनुशासित विद्यार्थी होने का परिचय दें। मानवीय मूल्य एवं गरिमा बनाये रखें। समाज को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करें। विद्यार्थी जीवन में अच्छी कुशलता और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पाकर अपने भविष्य को गढ़ें।

इन्हीं भावनाओं एवं शुभकामनाओं के साथ....

श्रीमती विनीता चौधरी

प्राचार्य

विवरणिका 2024–25

PROSPECTUS

ज्ञानीराम हरखचंद सरावगी राजकीय महाविद्यालय

सुजानगढ़–331507 (चूरू) राज.

तमसो मा ज्योतिर्गमय

प्राचार्य एवं संरक्षक

श्रीमती विनीता चौधरी

संपादक मंडल

श्री रामनिवास मेघवाल
सह–आचार्य
गणित विभाग

श्री राम प्रसाद स्वामी
सहायक–आचार्य
ABST विभाग

प्रकाशक
प्राचार्य, ज्ञा. ह. स. राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	आवश्यक सूचनाएं	5
2	अत्यावश्यक नियम	6
3	महाविद्यालय एवं सुजलांचल : एक परिचय	7–9
4	पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीट	10–12
5	परिसर दृष्टि	13–23
6	प्रवेश नियमावली	24–25
7	उपस्थिति सम्बन्धी नियम	26
8	शुल्क संरचना	27–28
9	आचरण सम्बन्धी सामान्य नियम	29–30
10	महाविद्यालय परिवार	31–33
11	बस एवं रेल कन्सेशन सम्बन्धी नियम	34
12	पाठ्येतर गतिविधियों में प्रवेश हेतु नियम एवं कैलेंडर	35
13	प्रवेश समितिया	36

आवश्यक सूचनाएं

विद्यार्थियों को चाहिए कि वे निम्न तथ्यों से अवगत रहें –

1. प्रवेश–नियमों, प्रवेश–तिथियों एवं उपस्थिति सम्बन्धी अध्यादेशों/आदेशों/निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें।
2. निर्धारण तिथि तक शुल्क जमा न कराने पर प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. विलम्ब शुल्क से फॉर्म एवं फीस जमा कराने का कोई प्रावधान नहीं है।
4. प्रवेश फॉर्म के साथ लगाये गए मूल प्रलेखों की पर्याप्त सत्यापित/स्व–सत्यापित फोटो स्टेट प्रतियाँ अपने पास रखें क्योंकि ये मूल प्रलेख प्रवेश के बाद शीघ्र लौटाए नहीं जा सकेंगे।
5. प्राचार्य किसी भी विद्यार्थी को बिना कारण बताये प्रवेश देने से इंकार कर सकता है।
6. नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना पट्ट को देखते रहें।
7. अपना स्थाई मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई–डी आवश्यक रूप से महाविद्यालय अकादमिक शाखा में लिखवाएं।
8. अपना वर्तमान सत्र का परिचय–पत्र हमेशा साथ में रखें तथा महाविद्यालय के अधिकारियों द्वारा पूछने पर उन्हें दिखाएं।
9. खाली कालांश के दौरान महाविद्यालय पुस्तकालय में उपलब्ध महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन कर समय का सदुपयोग करें।
10. सभी विषयों में प्राचार्य का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा।

अत्यावश्यक नियम

1. महाविद्यालय परिसर में रेगिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
2. महाविद्यालय सूचना पट्ट नियमित रूप से अवश्य देखें।
3. कक्षाओं के चलते गैलरी में न घूमें और न शोर करें, एक कालांश के बीतने व अगले कालांश के प्रारंभ के बीच गैलरी में खड़े न रहें ताकि आवागमन में कठिनाई न हो।
4. सदैव अपना परिचय पत्र साथ लावें तथा मांगे जाने पर प्रस्तुत करें।
5. जब कक्षाएं चल रही हों तो अपने किसी भी साथी को बाहर न बुलावें।
6. परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग दंडनीय अपराध है।
7. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार के दोषी छात्र /छात्रा का प्रवेश निषेध है।
8. प्रवेश फार्म के साथ प्रस्तुत मूल प्रमाण –पत्र विश्वविद्यालय से नामांकन हो जाने के पश्चात वहां से प्राप्त होने पर ही छात्र/छात्रा को लौटाए जाएंगे अतः अपने पास पर्याप्त मात्र में सत्यापित प्रतियाँ रखें।
9. इस विवरणिका के प्रकाशन के बाद यदि निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर / राज्य सरकार / विश्वविद्यालय से नियमों में परिवर्तन किया जाता है तो वे ही मान्य होंगे।

राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ एवं सुजलांचल

एक परिचय

सुजलांचल में राजकीय महाविद्यालय सर्वप्रथम सन 1968 में ज्ञानीराम हरकचंद सरावगी कला व वाणिज्य महाविद्यालय तथा सेठ मोतीलाल बैंगाणी विज्ञान महाविद्यालय, लाडनूं के नाम से अलग–अलग स्थापित हुए। शैशवकाल में प्रथम वर्ष कला एंव वाणिज्य की कक्षाओं द्वारा भंवरलाल काला बाल मंदिर, सुजानगढ़ में 66 विद्यार्थियों से इसका शुभारम्भ हुआ। तदुपरांत 1 जुलाई 1969 में यह राजाजी की कोठी में स्थानान्तरित हो गया। वहां से 28 जनवरी 1974 में यह महाविद्यालय सेठ ज्ञानीराम हरकचंद सरावगी ट्रस्ट द्वारा निर्मित एवं प्रदत्त अपने वर्तमान भवन में स्थानान्तरित हो गया। इस महाविद्यालय का शिलान्यास तत्कालीन विधायक श्री फूलचंद जैन एवं सुजानगढ़ के सुधीजनों एवं श्रेष्ठीजनों के प्रयास से उस समय के राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाडिया के कर कमलों से हुआ।

इसी प्रकार सेठ मोतीलाल बैंगाणी विज्ञान महाविद्यालय लाडनूं भी सत्र 1968–69 में जौहरी हायर सैकंडरी स्कूल लाडनूं में प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात यह अपने वर्तमान भवन में स्थानान्तरित हो गया। इस प्रकार दोनों महाविद्यालय आमने –सामने स्थापित हुए। प्रारंभ में करीब डेढ़ दशक तक प्रशासनिक एवं अध्यापन की दृष्टि से दो अलग–अलग महाविद्यालय थे। मगर 1 जनवरी 1982 में राज्य सरकार के आदेश से दोनों महाविद्यालय मिलकर एक हो गए।

आज का ज्ञानीराम हरखचंद सरावगी राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़ पूर्व के दोनों महाविद्यालय का एकीकृत रूप है जिसे स्थानीय लोग सुजला महाविद्यालय के नाम से भी जानते है, यह सुजानगढ़ से 6 किमी. की दूरी पर व लाडनूं से 9 किमी. की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग न. 65 पर रतनगढ़–डेगाना रेल मार्ग के जसवंतगढ़ रेल्वे स्टेशन के सामने स्थित है। महाविद्यालय की पूर्व दिशा से हनुमानगढ़–किशनगढ़ हाईवे गुजर रहा है।

वर्तमान में इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर तक के अध्ययन–अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है। गत वर्ष इस महाविद्यालय में 2804 विद्यार्थी अध्ययनरत्त थे। निर्जन में स्थित यह महाविद्यालय कई अभावों के बावजूद अध्ययन–अध्यापन, परीक्षा परिणाम, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेलकूद गतिविधियों में उत्साहवर्द्धक परिणाम देता रहा है। यहाँ से निकले विद्यार्थियों ने जीवन के हर क्षेत्र यथा कला और संस्कृति, व्यापार एवं प्रबंधन, चिकित्सा एवं प्रशासन, नेतृत्व एवं राजनीति में अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए हैं, गत वर्ष भी साहित्यिक एवं खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में इस महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं ने बढ़–चढकर भाग लिया।

कौरव–पांडवों के गुरू द्रोणाचार्य की तपस्थली द्रौणांचल, देववाणी या देवयानी का अपभ्रंश देवाणी, द्रोणपुर आचार्यवास से बना चाड़वास एवं धनुर्विद्या के अभ्यास के लिए मीलों फैला ताल छापर इस सुजलांचल की प्राचीनता को महाभारत काल से जोड़ते हैं। सुजानगढ़

का इतिहास पाँच सौ वर्ष से ज्यादा पुराना है। 1773 में सांडवा के बीदावत ठाकुर भोमसिंह ने सुजानगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। राव जोधा के गुरू हड़बूजी सांखला के नाम पर इसका नाम ''हड़बूजी रो कोट'' पड़ा जो कालांतर में अपभ्रंश होकर 'खरबूजी कोट' (खरबूजा कोट) नाम से प्रचलन मे आ गया।

ऐतिहासिक दृष्टि से सुजानगढ़ को राव बीकाजी के वंशज महाराजा सूरतसिंह के पूर्वाधिकारी महाराजा सुजानसिंह ने सन 1820 के लगभग बसाया था। प्रारंभ में इसे व्यापारिक मंडी बनाने हेतु डीडवाना, लाडनूं से सुयोग्य वैश्य परिवारों को बीकानेर महाराजा ने सम्मान के साथ बुलाकर सस्ती जमीनें तथा दुकानें दी, उसी समय हस्त शिल्पकारों को भी वहां सुविधाओं के साथ बसाया गया, जिससे यहाँ का उत्पादित कपड़ा, चमड़े का सामान निर्यात होने लगा, कालांतर में यहाँ के रंगाई–छपाई एवं बंधेज के कपड़े दूर–दूर तक प्रसिद्ध हो गए।

संगीत एवं साहित्य के क्षेत्र में सुजानगढ़ अग्रणी रहा है। 'धरती धोरां री' के यशस्वी कवि एवं साहित्यकार स्व. श्री कन्हैयालाल जी सेठिया इसी मिट्टी के पूत थे। लता मंगेशकर के गुरू संगीतकार स्व. खेमचंद प्रकाश इसी धरा पर जन्मे हैं। इसी कड़ी में यहां के श्री जमाल सेन, शम्भूसेन, तानसेन, समीर सेन, दलीप सेन ने भी संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में सिने–जगत मे नाम कमाया है। राजस्थान लोक गीतों की सुमधुर पुनः प्रस्तुति करने वाले वीणा कैसेट्स के निर्माता श्री के. सी. मालू सुजानगढ़ के ही लाल है। फिल्मी दुनिया से जुड़े गीतकार पी. के. मिश्रा, निर्मल मिश्रा एवं गजानंद मानव भी सुजानगढ़ के ही है। न्यायपालिका एवं प्रशासन के कई उच्च पदों पर इस धरा के सपूत विराजमान है।

सुजलांचल का दूसरा प्रमुख नगर लाडनूं है, एतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लाडनूं का 'चंदेरी' सन्दर्भ यद्यपि संदिग्ध माना जाता है तथापि प्रसिद्ध इतिहासकार श्री गोविन्द अग्रवाल द्वारा'बाँकीदास री ख्यात' एवं 'मोहता नैणसी री ख्यात' आदि प्राचीन ग्रंथों के आधार पर अपने शोध ग्रन्थ ''चुरू मंडल का शोधपूर्ण इतिहास' में लाडनूं को ''बूढी चंदेरी'' कहा जाना एवं प्राचीनकाल में शिशुपाल–वंशी पृथ्वीराज चौहान के सखा एवं राजकवि चंदवरदाई द्वारा रचित राजस्थानी भाषा के ग्रन्थ पृथ्वीराज रासो में लाडनूं का चंदेरी नगरी के रूप में उल्लेख मिलता है।

एक दूसरे सन्दर्भ में लाडनूं का नाम लाडोजी या उनकी पुत्री लाडो के नाम से जुड़ा माना जाता है। यहाँ बसावट, पट्टियाँ, संकरी गलियाँ, यहाँ के कला मंडित गढ़, मठ, विहार, सभा मंडप, तोरण, गोखे झरोखे, दासे और अट्टालिकांए इसके हजारों वर्ष के इतिहास की ओर इंगित करते हैं। यहाँ प्राचीन वृहद दिगंबर जैन मंदिर, सम्राट अशोक के प्रपौत्र सम्प्रति के समय का बना हुआ है, इस बात का उल्लेख कई प्राचीन शिलालेखों एवं जैन ग्रंथो में मिलता है। यह मंदिर ईसा से पूर्व का निर्मित है। ऐतिहासिक विकास क्रमकी

दृष्टि से लाडनूं को गन्धर्व वन, चंदेरी, महिपति पुर, खड़त्याबास और वर्तमान में लाडनूं कहते हैं। यहाँ स्थित जैन विश्व भारती एवं दरगाह अपने आप में अनूठी थातियां हैं।

लाडोजी एक पारीक ब्राह्मण थे जो छापर से लाडनूं आये थे तथा कई विद्याओं में पारंगत थे, लाडनूं गढ़ की भैरव भुजा का निर्माण उनकी अलौकिक विद्या के बल पर ही संपन्न हुआ, एक किंवदंती के अनुसार लाडोजी की पुत्री लाडो का बलिदान गढ़ की नींव में दिया गया था, लाडोजी के भाई पाबोजी के नाम से ही पाबोलाव बना, जहाँ साल में एक बार ऊँटों का प्रसिद्ध मेला लगता है। यहाँ स्थित हनुमान मंदिर भारत प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम के समकालीन है। पाबोलाव के पास स्थित आसोटा गाँव में ही घिंटाळा जाट के खेत में बालाजी की दो मूर्तियाँ प्रगट हुईं, जो एक पाबोलाव में तथा दूसरी सालासर में प्रतिष्ठापित हैं।

सुजानगढ़ से सालासर 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, सालासर से रतनगढ़ वाया मालासी सड़क पर स्थित खूड़ी ग्राम से 4 कि.मी. पूर्व में इतिहास प्रसिद्व स्यानण डूंगरी पर कालका माई का प्राचीन मंदिर स्थित है। सुजानगढ़ से सिर्फ 12 कि.मी. की दूरी पर ताल छापर में एशिया का प्रसिद्ध कृष्ण–मृग–अभयारण्य स्थित है, जहाँ हर रविवार को पहियों पर राजमहल शाही रेलगाड़ी देशी एवं विदेशी पर्यटकों को अभयारण्य दिखाने लाती है।

पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीट तथा विषय संयोजन

स्नातक भाग प्रथम में प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की वर्गवार स्थिति								
क्र.स.	संकाय	सामान्य वर्ग	आर्थिक पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विशेष पिछड़ा वर्ग	कुल स्वीकृत स्थान
1	कला संकाय	180	50	105	60	105	25	500
2	वाणिज्य संकाय	144	40	64	48	84	20	400
3	विज्ञान संकाय							
	(अ) जीव विज्ञान	32	09	14	10	19	4	88
	(ब) गणित	32	09	14	10	19	4	88

स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध (PG Previous) में प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की वर्गवार स्थिति

क्र.स.	संकाय	सामान्य वर्ग	आर्थिक पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	विशेष पिछड़ा वर्ग	कुल स्वीकृत स्थान
1	हिंन्दी	14	4	6	5	9	2	40
2	राजनीतिक विज्ञान	14	4	6	5	9	2	40
3	रसायन विज्ञान	11	3	5	3	7	1	30
4	गणित	14	4	6	5	9	2	40
5	ए.बी.एस.टी.	22	6	9	7	13	3	60
6	बी.एम.	22	6	9	7	13	3	60
7	ई.ए.एफ.एम.	22	6	9	7	13	3	60

शैक्षणिक परिचय उपलब्ध पाठ्यक्रम

इस महाविद्यालय में विभिन्न संकायों में निम्न विषयों के अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था है।

कला संकाय – स्नातक पाठ्यक्रम

(क) अनिवार्य विषय (केवल बी.ए. सेमेस्टर प्रथम व द्वितीय के लिए)

1. सामान्य हिन्दी
2. सामान्य अंग्रेजी
3. पर्यावरण अध्ययन

(Subject Groups)

Subject Group-A	Subject Group-B	Subject Group-C
Economics	Political Science	Hindi Literature
History	Sociology	English Literature
Geography		Sanskrit
Urdu		

Subject Combination

1.	History (100)	Sociology (100)	Hindi Litrature (100)
2.	History (100)	Political Science (100)	English Litrature (100)
3.	Economics (75)	Political Science (75)	Hindi Litrature (75)
4.	Urdu (25)	Political Science (25)	Hindi Litrature (25)
5.	History (50)	Political Science (50)	Hindi Litrature (50)
6.	History (50)	Political Science (50)	Sanskrit Litrature (50)
7.	Geography (100)	Political Science (100)	Hindi Litrature (100)

(भाग द्वितीय एवं तृतीय में पूर्वानुसार विषय रहेंगे)

Subject Wise Seat

Economics (75)	Political Science (400)	Hindi Literature (350)
History (300)	Sociology (100)	English Literature (100)
Geography (100)	Urdu (25)	Sanskrit (50)

कला संकाय – स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम–

1. Hindi (40)
2. Political Science (40)

नोट :–

1. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए स्थान सीमित हैं, यह जरूरी नहीं कि प्रवेशार्थी द्वारा चाहे गए विषय उसे मिल ही जाएँ।
2. प्रत्येक छात्र/छात्रा दिए गए पांचों समूह विकल्प वरीयता क्रमानुसार भरें।
3. एक समूह लेने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या अधिक होने पर उस विकल्प हेतु वरीयता के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
4. छात्र/छात्रा द्वारा विकल्प के रूप में अन्य समूह नहीं भरने की स्थिति में रिक्त स्थान वाला समूह विकल्प मानकर प्रवेश दे दिया जायेगा।
5. छात्र/छात्रा द्वारा दिए गए समूह को विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं करने पर महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा।

वाणिज्य संकाय

स्नातक पाठ्यक्रम

(क) अनिवार्य विषय (केवल बी.कॉम. सेमेस्टर प्रथम व द्वितीय के लिए)

1. सामान्य हिन्दी
2. सामान्य अंग्रेजी
3. पर्यावरण अध्ययन

(ख) मुख्य विषय :

1. आर्थिक प्रशासन तथा वितीय प्रबन्ध
2. व्यावसायिक प्रशासन
3. लेखाकर्म एवं सांख्यिकी

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

1. आर्थिक प्रशासन तथा वितीय प्रबंध
2. व्यावसायिक प्रशासन
3. लेखाकर्म एवं सांख्यिकी

विज्ञान संकाय

स्नातक पाठ्यक्रम

(क) अनिवार्य विषय (केवल बी. एससी. सेमेस्टर प्रथम व द्वितीय के लिए)

1. सामान्य हिन्दी
2. सामान्य अंग्रेजी
3. पर्यावरण अध्ययन

(ख) वैकल्पिक विषय :

1. भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित
2. वनस्पति शास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायन शास्त्र

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

1. रसायन शास्त्र
2. गणित

परिसर–दृष्टि

(परिसर गतिविधियों एवं सुविधाओं की एक झलक)

महाविद्यालय–पुस्तकालय (COLLEGE LIBRARY)

महाविद्यालय में विद्यार्थियों की ज्ञान–पिपासा के शमन हेतु अनके संदर्भ ग्रंथों से परिपूर्ण एक समृद्ध पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु पारंगत पुस्तकालयाध्यक्ष श्री एस.आर. बालान कार्यरत हैं। महाविद्यालय के इस पुस्तकालय में 50000 से अधिक पुस्तकें हैं तथा विभिन्न विषयों की 20 पत्र–पत्रिकाएं मंगवाई जा रही हैं। विद्यार्थियों के लिए बुक बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है। पुस्तकालय की पुस्तकें दशमलव प्रणाली में वर्गीकृत है तथा मुक्तद्वार प्रणाली अपनाई गई है। पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची लेखक के नाम से अकारादि वर्णा–क्रमानुसार तथा विषय की सूची वर्गीकरण पद्धति अनुसार सूची कार्डो पर व्यवस्थित कर की गई है। पुस्तकों का आदान–प्रदान ऑनलाइन ई–लाइब्रेरी सॉफटवेयर के माध्यम से किया जाता है। इस हेतु प्रत्येक विद्यार्थी कों लाइब्रेरी कार्ड जारी किया जाता है जिसके माध्यम से विद्यार्थी सेमेस्टर प्रथम व द्वितीय में एक समय में दो पुस्तके एवं अन्य कक्षा के लिए तीन पुस्तके लेने के लिये अधिकृत है। जारी की गयी पुस्तक की सुरक्षा का दायित्व संबंधित विद्यार्थी का होगा। सत्र की समाप्ति पर पुस्तकों को लौटाना जाना आवश्यक है।

पुस्तकालय के नियम :

1. पुस्तकालय में प्रवेश करते समय यदि आपके पास पुस्तकें, थैला, छाता आदि सामग्री हो तो उन्हें निर्धारित स्थान पर रखें। पुस्तकालय में अपने साथ नोट्स लिखने के लिए केवल नोट बुक ले जाई जा सकती है।

2. यह पुस्तकालय महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के उपयोग के लिए है, पुस्तकालय में प्रवेश की अनुमति परिचय–पत्र दिखाने पर ही मिल सकेगी।

3. सामान्यतः प्रत्येक पुस्तक 14 दिन की अवधि के पश्चात लौटाई जानी चाहिए। लौटाई गई पुस्तक पुनः उसी विद्यार्थी को नहीं दी जाएगी।

4. निश्चित अवधि के पश्चात लौटाई गई पुस्तक पर 25 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लिया जाएगा, जो महाविद्यालय खजांची के पास जमा करना होगा, एक सप्ताह से अधिक विलम्ब होने पर विद्यार्थी को भविष्य में पुस्तकालय की सुविधा से वंचित किया जा सकता है।

5. पुस्तकों का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। खराब की गई, चिह्नांकित की गई या खो गई पुस्तक का दुगुना मूल्य वसूल किया जाएगा। विद्यार्थी को चाहिए कि पुस्तक को लेते समय स्वयं सावधानी से देख लें कि पुस्तक किसी भी रूप में क्षतिग्रस्त नहीं है। यदि कटी–फटी या चिह्नांकित पुस्तक है तो उसे निर्गमित करवाने से पूर्व काउंटर–क्लर्क को दिखाकर मुहर लगवाएं।

6. पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को मोडना, फाड़ना या उस पर कुछ लिखना एवं किसी अन्य व्यक्ति के कार्ड पर पुस्तक लेने का प्रयास करना दण्डनीय अपराध है।

7. घर ले जाने के लिए पुस्तक परिचय–पत्र देखकर ही दी जाएगी। इसके अभाव में पुस्तकालयाध्यक्ष आपको पुस्तक देने से मना कर सकता है।

8. प्रत्येक विद्यार्थी को साहित्य के अतिरिक्त अपने विषयों से सम्बंधित पुस्तकें ही दी जा सकेंगी।

9. संदर्भ ग्रन्थ–कोष, विश्वकोश, कला संबंधी पुस्तकों, मानचित्रावलियां, पत्र–पत्रिकाएं, परीक्षा प्रश्न पत्र एवं नियमावलियां आदि का अध्ययन/उपयोग केवल पुस्तकालय भवन में ही किया जा सकता है।

10. पुस्तकालय में पूर्ण शांति बनायें रखें तथा ऐसा कार्य न करें जिससे दूसरों का ध्यान भंग हो। यदि कोई विद्यार्थी इस नियम के विरुद्ध आचरण करता हुआ पाया जाएगा तो उसे पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय से बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं।

क्रीड़ा एवं खेलकूद (GAMES & SPORTS ACTIVITIES)

(महाविद्यालय खेलकूद गतिविधियां)

महाविद्यालय में सत्र पर्यन्त विद्यार्थियों की खेलकूद गतिविधियों का सुचारू संचालन होता है। महाविद्यालय का क्रीड़ा विभाग अपनी गतिविधियों की उत्कृष्टता के लिए छात्रवर्ग का चहेता विभाग है। खेल अधिकारी श्री प्रमोद कुमार के कुशल निर्देशन में प्रतिवर्ष इस महाविद्यालय के अनेक विद्यार्थी विभिन्न खेलों में अंतर–महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाविद्यालय में खेलकूद की निम्नांकित सुविधाएं उपलब्ध हैं–

1. आऊटडोर खेलकूद : फुटबाल, बॉलीबाल, कबड्डी, खो–खो, बास्केट बाल, क्रिकेट एवं एथेलेटिक्स
2. इन्डोर खेलकूद : बैडमिंटन, टेबल–टेनिस, शतरंज
3. जिम्नेजियम : महाविद्यालय में विगत दो वर्षों से जिम्नेजियम की सुविधा उपलब्ध है।
4. अंतर्महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिवर्ष लगभग 10 टीमें बीकानेर विश्वविद्यालय में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करती हैं।
5. महाविद्यालय के विभिन्न खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बीकानेर विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं।
6. प्रतिवर्ष महाविद्यालय में अंतर–संकाय खेलकूद प्रतियोगिताओं का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें समस्त संकायों के अनेक विद्यार्थी सहभागिता करते हैं। अंतर–संकाय खेलकूद प्रतियोगिताओं के दौरान एथेलेटिक्स में प्रतिवर्ष सर्व–श्रेष्ठ–एथलीट छात्र एवं छात्रा का चयन किया जाता है। इसके लिए विद्यार्थी–खिलाड़ी वर्ष पर्यन्त मेहनत करते हैं।
7. बेस्ट–एथलीट छात्र–छात्रा खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष 5000–5000 रूपये धनराशि का पुरस्कार भामाशाह श्री जयनारायण पूनिया के सौजन्य से प्रदान किया जाता है।
8. सभी खेलों में विभिन्न स्तरों पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी–खिलाड़ियों को वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह में प्रमाणपत्र एवं पारितोषिक भेंट कर प्रोत्साहित किया जाता है।

छात्र परिषद

(STUDENT UNION)

महाविद्यालय के चहुंमुखी विकास में छात्रशक्ति के अधिकतम सहयोग की अपेक्षा से छात्र–परिषद का गठन किया जाता है। प्रतिवर्ष छात्र–परिषद् का गठन राजकीय आदेशानुसार छात्र परिषद् संविधान के तहत किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महा–सचिव, संयुक्त–सचिव तथा कक्षा प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा एक सत्र के लिए किया जाता है। छात्र परिषद महाविद्यालय प्रशासन द्वारा नामित परामर्शदाता मंडल के मार्गदर्शन में छात्रशक्ति एवं महाविद्यालय के हित साधन के लिए कार्य करती है। गत सत्र 2023–24 के दौरान छात्र परिषद के परामर्शदाता निम्नलिखित है –

छात्र परिषद परामर्शदाता मंडल 2023–24

1. श्री प्रमोद कुमार (मुख्य परामर्शदाता)

2. श्री रामनिवास मेघवाल (सदस्य)

राष्ट्रीय सेवा योजना (NATIONAL SERVICE SCHEME)

राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ–साथ समाजसेवा में सहभागी बना कर राष्ट्रभक्त एवं योग्य नागरिक बनाना है। इस योजना का ध्येय वाक्य NOT ME BUT YOU है। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाइयां स्वीकृत हैं, जिसमें 200 विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। श्री प्रदीप कुमार जोशी एवं श्रीमती पूजा शर्मा इकाइयों के कार्यक्रम–अधिकारी के रूप में स्वयंसेवक स्वयंसेविकाओं का कुशल मार्गदर्शन करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के बेनर तले प्रतिवर्ष महाविद्यालय में परिसर–सौंदर्यीकरण, पौध–रोपण, जल संरक्षण, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम, सात दिवसीय विशेष शिविर, श्रमदान आदि कार्य संपन्न करवाए जाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों की ओर से गोद ली गई बस्तियों में सामाजिक जागरुकता रैलियों, विभिन्न कार्यक्रमों एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। रासेयो कलैंडर में वर्णित सभी गतिविधियों के साथ ही इन इकाइयों द्वारा स्थानीय आवश्यकतानुसार विशेष गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है।

राष्ट्रीय छात्र सैन्य दल (NATIONAL CADET CORE)

इस महाविद्यालय में छात्रों को एन. सी. सी. का प्रशिक्षण देने के लिए 3/2 एस. डी. कंपनी है जिसमें 107 कैडेट्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। सत्र 2018–19 से इस कंपनी के लिए स्वीकृत स्थानों में 33 प्रतिशत स्थान छात्रा–कैडेट्स केलिए आरक्षित है। इस कंपनी का बटालियन हैडक्वार्टर चुरू है। एन.सी.सी. में प्रवेश चाहने वाले छात्रों को निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरना होता है, एन.सी.सी. कैडेट्स को एनसीसी प्रभारी अधिकारी श्री हरीलाल जागिड. के नेतृत्व में उचित प्रशिक्षण प्रदान कर 'बी' एवं 'सी' प्रमाणपत्र की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। एनसीसी युनिट के सैंकड़ों कैडेट प्रतिवर्ष भारतीय सेना, राजस्थान पुलिस एवं विभिन्न रक्षा सेवाओं में चयनित होते हैं।

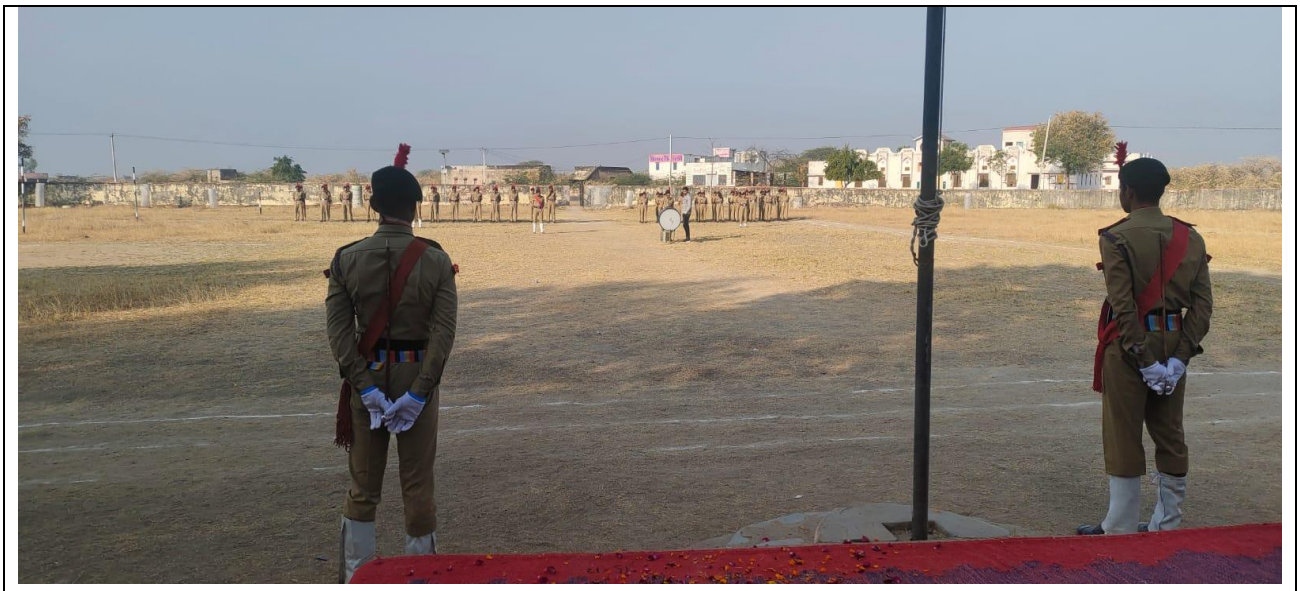

रोवर एवं स्काउट (ROVER & SCOUT)

महाविद्यालय में स्काउटिंग की दो इकाइयां–एवं रेंजर–टीम (छात्रा) संचालित हैं, जिनका संचालन राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के निर्देशानुसार किया जाता है। छात्र–छात्राएं पारस्परिक मेलजोल एवं सद्भाव बढ़ाने वाली इस पाठ्येत्तर गतिविधि में भाग लेकर अपना बहु–आयामी विकास सुनिश्चित कर सकते हैं।

अप्रवासीय छात्र केंद्र(NON RESIDENTIAL STUDENT CENTER)

महाविद्यालय में अप्रवासी छात्र केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है।

महिला प्रकोष्ठ
(WOMEN CELL)

महाविद्यालय में छात्रा विद्यार्थियों की प्रतिभाओं के निखार एवं महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से महिला प्रकोष्ठ का संचालन किया जाता है। महाविद्यालय में अध्ययनरत्त समस्त छात्रा विद्यार्थी इस प्रकोष्ठ की सदस्य होती हैं। महाविद्यालय महिला प्रकोष्ठ अपनी प्रभारी अधिकारी श्रीमती नीतिका ठोलिया के कुशल निर्देशन में सत्र पर्यन्त विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिनमें पोस्टर निर्माण, स्लोगन–लेखन, ग्रीटिंग कार्ड लेखन, मेहंदी प्रतियोगिता, सलाद–प्रतियोगिता, भाषण, वाद–विवाद, गायन, नृत्य एवं वाद्य–वादन आदि प्रतियोगिताएं उल्लेखनीय है।

साहित्यिक–सांस्कृतिक गतिविधियां
(CULTURAL & LITRARY ACTIVITIES)

महाविद्यालय–विद्यार्थियों में साहित्यिक–सांस्कृतिक अभिरुचियों के विकास हेतु सत्र पर्यन्त अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। अनुभवी प्रभारी अधिकारी श्री प्रमोद कुमार के कुशल निर्देशन में साहित्यिक–सांस्कृतिक समिति द्वारा समय–समय पर काव्य–पाठ, वाद–विवाद, क्विज, निबन्ध–लेखन, भाषण, आशु–भाषण आदि प्रतियोगिताओं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस समिति द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों की ओर से आयोजित राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित साहित्यिक–सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में सहभागिता एवं महाविद्यालय से चुनिंदा विद्यार्थियों को सहभागिता हेतु भेजा जाता है। प्रत्येक सत्र में महाविद्यालय के सभी नियकिमत विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध करवाने एवं प्रतिभाओं की पहचान हेतु बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित सांस्कृतिक–प्रतियोगिताएं संपन्न होती है– एकल गायन, समूह गायन, एकल नृत्य, समूह नृत्य, विचित्र वेशभूषा, प्रहसन, काव्य–पाठ, आशु भाषण, सामान्य ज्ञान क्विज, लघु नाटिका, मूकाभिनय, एकाभिनय।

महाविद्यालय कैंटीन

(COLLEGE CANTEEN)

महाविद्यालय–विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सत्र 2019–20 से महाविद्यालय के एनआरएससी परिसर में कैंटीन की व्यवस्था की गई है। राजस्थान वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना करते हुए कैंटीन के लिए खुली नीलामी के माध्यम से सर्वाधिक बोली दाता फर्म को महाविद्यालय में कैंटीन संचालन की अनुमति प्रदान जाती है। कैंटीन में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय स्तर पर एक निगरानी समिति का गठन किया जाता है।

कॉन्फरेंस हॉल

महाविद्यालय में छात्रों की सुविधार्थ कॉन्फरेंस हॉल की सुविधा उपलब्ध है।

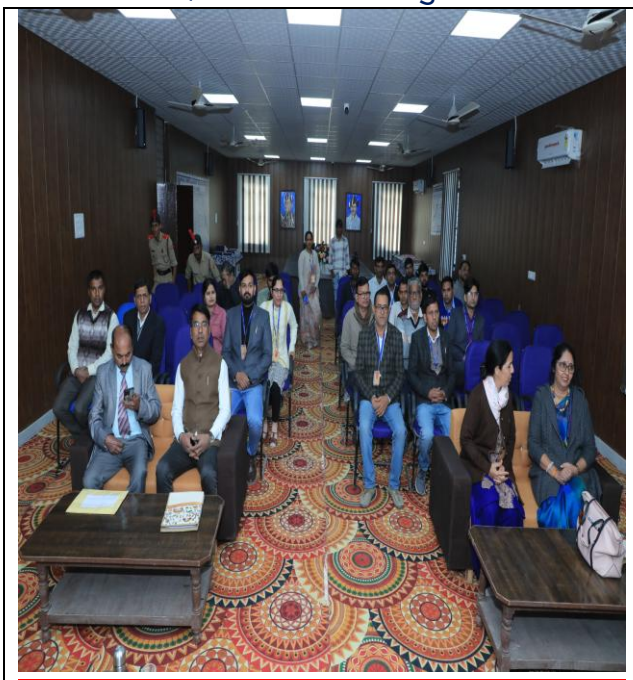

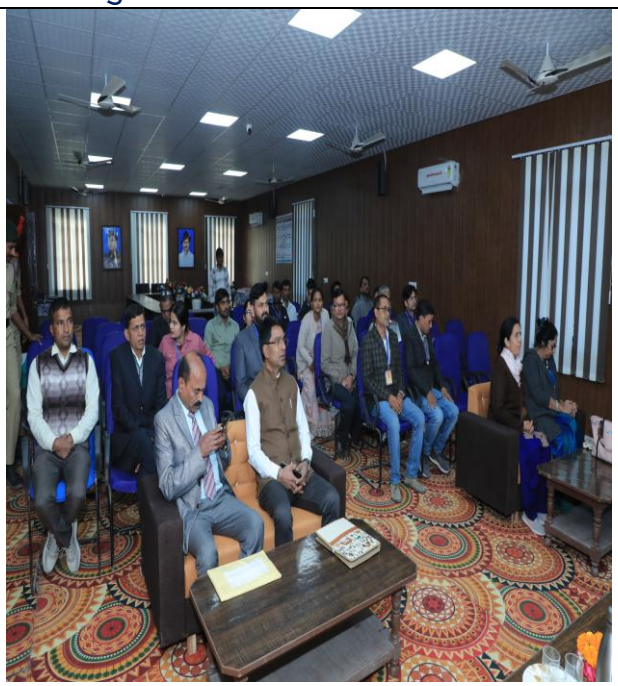

स्मार्ट क्लास रूम

महाविद्यालय में ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा उपलब्ध है।

प्रवेश नियमावली

1. महाविद्यालय के प्रत्येक संकाय/विषय में जितने छात्रो की संख्या निश्चित है, उतने ही स्थानो पर राज्य सरकार के नियमानुसार ऑन–लाइन प्रवेश देय होगा।
2. प्रवेश नियमावली के विस्तृत अवलोकन हेतु विद्यार्थी राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़ की Website –hte.rajasthan.gov.in/college/gcsujangarh पर जाकर admission policy 2024-25 पर क्लिक करें।
3. स्नातक भाग प्रथम एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश हेतु आवेदक को Website – www.hte.rajasthan.gov.in पर दिए गए "Click here for online Admission" लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
4. ऑनलाइन आवेदन–पत्र में कोई त्रुटि होने पर आवेदक अंतिम तिथि तक उसमें सुधार कर सकता है। उसके बाद आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
5. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी प्रवेश नहीं होगा। इस हेतु DCE द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों का अवलोकन करते रहें।
6. जिन विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है, उनको सत्र के प्रारंभ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश ले लेना चाहिए। उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में अध्यापन प्रारंभ की तिथि से गिनी जाएगी। प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के बाद उनका नियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा।
7. ऑनलाइन प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख आवश्यक है :

   (अ) अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिका तथा स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ, प्रवेश होने पर मूल प्रति जमा करनी होगी।

   (ख) मूल चरित्र प्रमाण पत्र

   (ग) विश्वविद्यालय परिवर्तन का मूल प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) (जो छात्र/छात्राएं संबंधित विश्वविद्यालय के बाहर से आ रहे हैं, उन्हें माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यदि प्रवेश के समय उक्त प्रमाणपत्र नहीं हो तो इस आशय का अंडरटेकिंग दें कि प्रवेश के एक मास में उक्त प्रमाणपत्र महाविद्यालय में जमा करवा दिया जाएगा।)

   (घ) यदि छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग से है, तो उसकी पुष्टि में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

   (ड़) जिनके अभिभावक राजस्थान सरकार के ऐसे कर्मचारी हों जो आयकर–दाता नहीं है, तो तत्संबंधी प्रमाण–पत्र देने पर शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

   (च) आय का विवरण–पत्र

   (छ) खेल आदि में विशेष योग्यता का प्रमाण–पत्र जिनके आधार पर बोनस अंक चाहे गए हैं।

8. जिन छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा, उन्हें उनके दिए हुए मोबाइल नंबर पर इस सम्बन्ध में SMS प्राप्त हो जाएगा तथा उनके नाम कॉलेज के सूचना पट्ट पर पूर्व निर्धारित तिथि तक घोषित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त छात्र/छात्राओं को पुस्तकालय कार्ड ले लेना चाहिए। निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा न होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
9. प्रवेश हो जाने पर कार्यालय से अपना परिचय पत्र, फीस की रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त कर लें। इसे महाविद्यालय में सदा अपने साथ रखना होगा।
10. आवेदन पत्र पर छात्र/छात्रा के पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उनका सत्यापन होना चाहिए। प्रत्येक असत्य विवरण के लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया, उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया या प्रवेश आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना पाई गई, या महाविद्यालय नियमों का उल्लंघन किया, अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर किए तो उसका यह कार्य अवांछनीय होने के कारण दंडनीय अपराध समझा जाएगा और उसका प्रवेश तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
12. सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का अनुमति पत्र संलग्न करें, अन्यथा प्रवेश अवैध माना जाएगा, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात तीन वर्ष की अवधि के अन्दर कॉशन मनी (Caution Money) वापस नहीं ली जाने की स्थिति में यह राजकीय कोष में जमा करा दी जाएगी।
14. प्राचार्य को यह अधिकार होगा की उचित कारण होने पर किसी भी आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दें/प्रवेश निरस्त कर दें।
15. प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना पट्ट देखना चाहिए, अन्यथा कोई भी सूचना प्राप्त न होने का दायित्व महाविद्यालय प्रशासन का नहीं होगा।
16. एन. सी. सी./एन. एस. एस. में प्रवेश हेतु सम्बंधित अधिकारी से संपर्क करें तथा सूचना पट्ट देखें।

स्नातक भाग द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के लिए प्रवेश प्रक्रिया

सभी संकायों के स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में प्रवेश के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया गया है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी एप्लीकेशन आई.डी. से ईमित्र पर निर्धारित शुल्क जमा करावें। अभी विद्यार्थी को केवल शुल्क ही जमा कराना है, अन्य कोई आवेदन–पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने हैं। विद्यार्थी अपना शुल्क जमा करवाकर उसकी प्राप्ति रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।

नोट : स्नातक भाग द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के लिए शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि : 19 जुलाई 2024 है। इसके बाद शुल्क जमा किया जाना संभव नहीं होगा तथा संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा, जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

1. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय की कम से कम 75 प्रतिशत सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक हैं। इसके अभाव में वह विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा नियमित छात्र के रूप में नहीं दे सकेगा।
2. वे छात्र जिन्हें महाविद्यालय की ओर से एन.सी.सी., शिविर, स्काउटिंग शिविर अथवा साहित्यिक या सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा राज्य का प्रतिनिधित्व करने भेजा जाता है, उन्हें उन दिनों की कक्षा में उपस्थित छात्रों की भांति ही उपस्थिति दी जाएगी, किन्तु इस हेतु उन्हें उतने ही दिन की उपस्थिति मिलेगी जितने दिन की विशेष विषय की कक्षाएं वास्तव में हुई है, छुट्टियों व अन्य अवकाश के दिनों में आयोजित गतिविधियों के लिए उपस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।
3. सभी मामलों में उपस्थिति के प्रतिशत की गणना सत्रारंभ से हुई कुल कक्षाओं के आधार पर ही होगी न कि उस दिन से जिस दिन से छात्र/छात्रा ने कक्षा में प्रवेश लिया हो। ठीक यही बात विषय परिवर्तन करने वाले छात्रो पर लागू होती है, क्योंकि किसी एक विषय की उपस्थिति किसी दूसरे विषय में स्थानांतरित नहीं की जा सकती।
4. सत्र के मध्य में किसी अन्य महाविद्यालय से स्थानांतरित होकर आने वाले छात्र को अपनी पूर्व उपस्थिति का अभिलेख साथ लाना होगा।
5. समुचित कारणों पर प्राचार्य, अभिषद (सिंडीकेट) एवं कुलपति द्वारा अग्रांकित सीमा तक/पूर्व उपस्थिति की कमी को क्षमा किया जा सकता है।
   1) कुल सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं की 3 प्रतिशत तक उपस्थिति की कमी प्राचार्य द्वारा माफ की जा सकती है।
   2) 3 प्रतिशत से अधिक किन्तु 6 प्रतिशत तक उपस्थिति की कमी प्राचार्य की अनुशंसा पर अभिसद (सिंडीकेट) द्वारा क्षमा की जा सकती है।
   3) तदुपरांत केवल दीर्घकालीन रूग्णता के वास्तविक मामलों में 5 प्रतिशत उपस्थिति की कमी प्राचार्य की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा क्षमा की जा सकती है। इसके लिए रूग्ण छात्रों को रूग्णता के पश्चात महाविद्यालय में उपस्थित होते ही राज्य सरकार द्वारा मान्य चिकित्सक का प्रमाण–पत्र प्राचार्य को प्रस्तुत करना चाहिए। इन सीमाओं के पश्चात की कोई कमी किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी।
6. उपस्थिति की किसी भी कमी को क्षमा करने की अनुशंसा प्राचार्य उसी दशा में करेंगे जबकि वे इस बात से संतुष्ट होंगे कि अनुपस्थिति का कारण विद्यार्थी की सामर्थ्य से बाहर था।
7. यदि कोई विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित होने में अत्यधिक अनियमितता एवं उपेक्षा दिखाता है तो प्राचार्य सत्र के मध्य में ही उसका नाम महाविद्यालय से हटा सकते हैं अथवा उसे विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं।

   टिप्पणी :– उपर्युक्त छूट देने पर भी यदि उपस्थिति कम रहती है तो उसे किसी भी तरह बढाया नहीं जा सकेगा।
8. यदि कोई विद्यार्थी दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है अथवा अपने अध्ययन की उपेक्षा करता है तो उसे उपस्थिति में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
9. पूरक परीक्षा के योग्य घोषित किये गए छात्र की उपस्थिति सत्रारंभ से ही गिनी जाएगी।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क

शिक्षण शुल्क :

शिक्षण शुल्क 12 महिनों (जुलाई से जून तक) के लिए एक मुश्त सरकार/प्राचार्य द्वारा निर्धारित तिथि तक देय होता है। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं करवाने वाले विद्यार्थी का नाम सूची से हटा दिया जाएगा।

शिक्षण शुल्क से मुक्ति :

राज्य सरकार के नियमानुसार निम्नांकित श्रेणियों के छात्रों को आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क से मुक्त किया जा सकेगा।

(क) जिन विद्यार्थियों के अभिभावक ऐसे राज्य कर्मचारी है जो आयकर नहीं देते हैं (राजपत्रित तथा अराजपत्रित) उनसे कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। यह सुविधा उन विद्यार्थियों को भी मिलेगी जिनके अभिभावक पंचायत समितियों व जिला परिषदों में कार्यरत है।

(ख) समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा, चाहे उनके अभिभावक आयकरदाता हों अथवा नहीं परन्तु उन्हें अपने दावे में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। छात्रों से अन्य शुल्कों की वसूली इन्हें देय छात्रवृत्ति से की जाएगी। जो छात्र छात्रवृति के पात्र नहीं होंगे, उन्हें आवश्यक समस्त शुल्क प्रवेश के समय जमा कराना होगा।

नोट :–

(1) विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत शुल्क मुक्ति चाहने वाले विद्यार्थियों को चाहिए कि वे आवेदन–पत्र के साथ ही आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दें। एक बार शुल्क जमा करा देने के पश्चात प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर भी प्रदत्त शुल्क की राशि लौटाई नहीं जा सकेगी।

(2) समस्त प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों से शिक्षण शुल्क (जिन पर देय है) पूरे सत्र के लिए एक मुश्त लिया जाएगा।

(3) समस्त शुल्क की दरों में परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार अथवा महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित है।

ध्यातव्य है कि प्रत्येक कक्षा में योग्यता एवं आवश्यकतानुसार 10 विद्यार्थियों को पूर्ण शुल्क मुक्ति एवं 10 विद्यार्थियों को अर्द्ध शुल्क मुक्ति का लाभ दिया जा सकता है। यह लाभ उन्हीं छात्रो को देय होगा जिनके माता–पिता अथवा संरक्षक आयकर–दाता नहीं है तथा जिन्हें अन्य कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

Fee Structure (शुल्क दरें)

कक्षावार शुल्क संरचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है । जिसका डायरेक्ट लिंक निम्न है -:

https://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/maharaja_ganga_singh_university/g.h.s.government_p.g.college,sujangarh,_dist._churu/uploads/doc/fee%20structure%202024-25.xlsx

अन्य शुल्क :

	1	टी.सी. (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र)	2 रू
	2	चरित्र प्रमाण पत्र	2 रू

नोट :– टी सी लेते समय 46 रू., डिग्री लेते समय 100 रू. विकास शुल्क देय होगा

विश्वविद्यालय शुल्क :

	1	विश्वविद्यालय खेल बोर्ड शुल्क	100 रू.
	2	नामांकन शुल्क	100 रू.
	3	पात्रता शुल्क	100 रू.
	4	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क	विश्वविद्यालय आदेशानुसार

नोट : उपर्युक्त शुल्क राशि में यदि राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा कोई परिवर्तन या वृद्धि की जाती है तो विद्यार्थी द्वारा यह राशि देय होगी

* विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु नए विद्यार्थियों को नामांकन फॉर्म भरना पड़ता है। अतः इस फॉर्म को भरकर कार्यालय में जमा करवाना विद्यार्थी का व्यक्तिगत दायित्व है।

आचरण सम्बन्धी सामान्य नियम

1. महाविद्यालय में किसी भी संस्था या क्लब के निर्माण हेतु प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।
2. किसी भी सभा का आयोजन करने या बाहर से किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए प्राचार्य की अनुमति आवश्यक है।
3. छात्र/छात्रा कक्षा के भीतर शांत रहेंगे।
4. छात्र/छात्रा अपने खाली समय का उपयोग पुस्तकालय व वाचनालय का लाभ लेने में करें।
5. विद्यार्थी घास के मैदानो एवं पेड़–पौधों का उचित संरक्षण एवं संवर्धन करें तथा नुकसान न पहुँचाएं।
6. छात्र महाविद्यालय सम्पदा का उचित ढंग से उपयोग करें।
7. पूर्व छात्र प्राचार्य की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करने पर ही कक्षा में बैठे।
8. अनुशासन भंग करना गंभीर अपराध है। अनुशासनहीन छात्र को दण्डित एवं निष्काषित किया जा सकता है।
9. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए गए छात्र को छात्रवृत्ति एवं शुल्क मुक्ति नहीं दी जाएगी।
10. अच्छा चरित्र प्रमाण पत्र पाने के लिए अच्छा आचरण एवं शिष्ट व्यवहार नितांत आवश्यक है।
11. राज्य सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, जर्दा, तम्बाकू एवं नशीली वस्तुओं का सेवन दंडनीय अपराध होगा।
12. प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय समय में अपना परिचय पत्र अपने पास रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी के द्वारा पूछे जाने पर दिखाना चाहिए।
13. दुराचरण या गंभीर दुराचरण पर दोषी छात्र/छात्रा के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम 88 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसके अंतर्गत दोषी छात्र/छात्रा को कुछ समय के लिए अथवा पूरे सत्र के लिए महाविद्यालय से निकाला जा सकता है।
14. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुचित साधन अपनाने वाले अथवा अधीक्षक के आदेशों की अवहेलना करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय अधिनियम 152 के प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जायेगा। विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 व 152 की धारा 4 के अंतर्गत अधीक्षक द्वारा परीक्षार्थी को उस प्रश्न–पत्र की अथवा शेष समस्त प्रश्न–पत्रों की परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।
15. पुस्तकालय की पुस्तकों को दूसरे छात्रों के साथ हस्तांतरित करना अथवा उनकी चोरी गंभीर अपराध माना जावेगा। तदनुसार दोषी छात्र/ छात्रा के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।
16. कक्षा के अंतर्गत तथा महाविद्यालय परिसर में की गई अनुशासनहीनता को गंभीर दुराचरण माना जाएगा और दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी।
17. छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने महाविद्यालय परिवार के परिजनों के प्रति विनयशील रहें तथा महाविद्यालय की संपति की रक्षा स्वयं करें और हानि पहुँचाने वालों को रोकें और ऐसी घटना को प्रशासन की जानकारी में लायें।

18. महाविद्यालय भवन जिसमें पुस्तकालय भवन, प्रयोगशाला भवन भी शामिल है, की दीवारों पर कुछ न लिखे, यदि कोई विद्यार्थी दीवारों पर लिखते हुए पाया गया या जिसके समर्थन में लिखा गया है, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
19. कक्षा मे अध्ययन करते समय प्रत्येक छात्र/छात्रा अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखें।

कक्षा

1. महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिए बिना छात्र को कक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।
2. विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति शालीन रहें।
3. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने प्राध्यापक के आने से पूर्व अपनी कक्षाओं में प्रविष्ट हों तथा प्राध्यापक द्वारा कक्षा छोड़ने तक वहीं रुके रहें।

सभा स्थल

1. महाविद्यालय द्वारा आयोजित किसी सभा या समारोह के अवसर पर सभी विद्यार्थी, अतिथिगण, प्राचार्य, एवं संकाय सदस्यों के सभा स्थल में प्रवेश करने एवं प्रस्थान करने के समय शिष्टाचार पूर्वक खड़े रहें तथा उनके स्थान ग्रहण करने से लेकर स्थान छोड़ने तक सभा स्थल पर उपस्थित रहें।
2. प्रत्येक परिसंवाद और वाद विवाद में विनम्रता, सम्मान एवं सद–व्यवहार अपेक्षित है।

विश्वविद्यालय अध्यादेश 88

अगर कोई छात्र गंभीर दुर्व्यवहार अथवा जानबूझ कर कार्य की उपेक्षा करने का दोषी पाया गया तो प्राचार्य प्रवृत्ति और अपराध गाम्भीर्य से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करके उस छात्र को :

1. कम से कम एक माह तक महाविद्यालय से निष्कासित कर सकते हैं।
2. कम से कम छः माह और अधिक से अधिक एक शैक्षणिक सत्र के लिए निष्कासित कर सकते हैं।
3. विद्यार्थी को आगामी परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर सकते हैं।
4. निष्कासित छात्र महाविद्यालय की अनुमति के बिना अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकेगा।

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य : रिक्त उपाचार्य : रिक्त

कला संकाय

अर्थशास्त्र विभाग (स्वीकृत पद–01)

1. श्री प्रमोद कुमार– सह-आचार्य

अंग्रेजी विभाग (स्वीकृत पद–02)

1. श्रीमती विनीता चौधरी – सह-आचार्य 2. रिक्त

हिन्दी विभाग (स्वीकृत पद–04)

1. रिक्त (पद–04)

इतिहास विभाग (स्वीकृत पद–02)

1. श्रीमती पूजा शर्मा– सहायक आचार्य
2. श्री नानू राम –सहायक आचार्य (अन्य महाविद्यालय से प्रतिनियुक्ति पर)
3. रिक्त (पद–01)

राजनीति शास्त्र विभाग (स्वीकृत पद–04)

1. रिक्त(पद–04)

समाज शास्त्र विभाग (स्वीकृत पद–01)

1. डॉ. नीतिका ठोलिया– सहायक आचार्य

भूगोल विभाग (स्वीकृत पद–01)

1. श्री ऍम पी काला - सह आचार्य (अन्य महाविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर)

उर्दू विभाग (स्वीकृत पद–01)

1. रिक्त

संस्कृत विभाग (स्वीकृत पद–01)

1. रिक्त

वाणिज्य संकाय

लेखा एवं सांख्यिकी विभाग (स्वीकृत पद–06)

1. श्री प्रदीप कुमार जोशी – सहायक आचार्य
2. श्री राम प्रसाद स्वामी – सहायक आचार्य
3. रिक्त (पद–04)

आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग (स्वीकृत पद–05)

1. श्री धन्ना राम जानू – सहायक आचार्य
2. श्री अशोक कुमार जांगिड़– सहायक आचार्य
3. श्री विजय सिंह – सहायक आचार्य
4. रिक्त (पद–02)

व्यावसायिक प्रशासन विभाग (स्वीकृत पद–05)

1. डॉ. अनुसूया मेहरा – सहायक आचार्य
2. सुश्री दिव्या जांगिड़ – सहायक आचार्य
3. श्री रविकांत चाहर– सहायक आचार्य
4. रिक्त (पद–02)

विज्ञान संकाय

भौतिक शास्त्र विभाग (स्वीकृत पद–02)

1. रिक्त (पद–02)

रसायन शास्त्र विभाग (स्वीकृत पद–04)

1. प्रो. बी.एस. बैरवा - आचार्य
2. डॉ. योगेश कुमार कल्ला – सहायक आचार्य
3. श्री रविकांत मीणा– सहायक आचार्य (कार्यव्यवस्थार्थ अन्य महाविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर)
4. रिक्त (पद–01)

गणित विभाग (स्वीकृत पद–04)

1. श्री रामनिवास मेघवाल - सह आचार्य
2. रिक्त (पद–03)

वनस्पति शास्त्र विभाग (स्वीकृत पद–02)

1. श्रीमती कविता भाटी -सहायक आचार्य (अन्य महाविद्यलय में प्रतिनियुक्ति पर)
2. रिक्त पद – 01

प्राणी शास्त्र विभाग (स्वीकृत पद–02)

1. श्री हरी लाल जांगिड़ -सहायक आचार्य 2. श्रीमती सीता सोनी -सहायक आचार्य

अशैक्षणिक कर्मचारी

क्रीड़ा विभाग (स्वीकृत पद–01)

1. रिक्त पद

पुस्तकालय विभाग (स्वीकृत पद–01)

1. श्री एस.आर. बालान, पुस्तकालयाध्यक्ष

अति. प्रशासनिक अधिकारी (कार्यवस्थार्थ)

1. श्री जीवराज सिंह

कार्यालय कार्मिक

क्र. सं.	पद विवरण	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	सहायक लेखाधिकारी (ग्रेड –I)	01	श्री लक्ष्मीपत सोनी	00
2	सहा. प्रशासनिक अधिकारी	02	00	02
3	वरिष्ठ सहायक	01	श्री रघुवीर सिंह परिहार	00
4	कनिष्ठ सहायक	02	श्री नरेश कुमार कीलका	01
5	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	01	00	01
6	प्रयोगशाला सहायक	03	श्री कैलाश कुमार	02
7	मैकेनिक	01	00	01
8	जमादार	01	00	01
9	बुक लिफ्टर	01	00	01
10	लेब बियरर	01	00	01
11	सहायक कर्मचारी Gr IV	05	श्रीमती गुड्डी देवी	04

बस एवं रेल कन्सेशन संबंधी नियम

महाविद्यालय के विद्यार्थियों को केवल निम्न दशाओं में ही बस व रेल कन्सेशन देय होगा–

1. यदि विद्यार्थी खेलकूद प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु यात्रा करता है।
2. यदि विद्यार्थी सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं, कार्यक्रमों, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं आदि में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु यात्रा करता है
3. यदि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को किसी प्रशिक्षण में भेजा जाता है।
4. यदि परीक्षा समाप्ति के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने गृह–नगर को जाता है, परन्तु यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि गृह–नगर से आशय विद्यार्थी के मूल निवास से है। जिसका प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी दंडनायक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
5. विद्यार्थी अपने स्थायी निवास का जो पता प्रवेश फॉर्म में भरेंगे उसी पते पर रेल एवं बस कन्सेशन देय होगा।
6. इसके अतिरिक्त विद्यार्थी को कन्सेशन के लिए रेलवे या RSRTC विभाग के नियमानुसार पहचान पत्र या RFID कार्ड अपने स्तर पर बनवाना होगा।

छात्रों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूचना

राजस्थान सरकार ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों के प्रयोग पर रोक) अधिनियम 1992 पारित किया है, जो विश्वविद्यालय की 1993 की परीक्षाओं से लागू हो गया है। इस अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को दंडनीय अपराध माना गया है तथा जो व्यक्ति दोषी पाया जाये उसे तीन साल का कारावास या 2000 रू. तक का जुर्माना या दोनों से ही न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा सकता है।

एन.सी.सी./एन.एस.एस/रोवर रेंजर/महिला प्रकोष्ठ/मानव अधिकार प्रकोष्ठ जैसी गतिविधियों में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु नियम एवं कलैण्डर

- प्रथम भाग में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश आवेदन पत्र में स्पष्टतः यह अंकित कराना होगा कि सत्र के दौरान उपर्युक्त गतिविधियों में से किन–किन गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं।
- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपर्युक्त गतिविधियों को संचालित करने वाली समितियों/व्याख्याताओं/अन्य कोई एजेन्सी द्वारा परामर्श (Counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर वर्षभर संचालित होने वाली गतिविधियों में शामिल किया जाए।
- गतिविधिवार विद्यार्थियों की सूची निदेशालय में संबंधित समन्वयक को 5 अगस्त तक उपलब्ध कराई जाए।
- छात्र एक से अधिक गतिविधि में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- परामर्श के समय संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि इन गतिविधियों के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थी को विकल्प उपलब्ध करवाये जावे।
- प्रथम भाग के विद्यार्थियो को कोई न कोई गतिविधि आवंटित करना अनिवार्य होगा।
- द्वितीय/तृतीय भाग, स्नातक एवं स्नातकोत्तर वर्षो में अध्ययनरत विद्यार्थी यथा संभव उपर्युक्त गतिविधियों में भाग लेगें जो विद्यार्थी पूर्व मे ही इन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में निदेशालय से समय–समय पर जारी होने वाली परिपत्रों को निदेशालय की वेबसाईट www.dce.rajasthan.gov.in जारी किया जाएगा, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

क्र.सं	गतिविधि का नाम	कार्यक्रम सारणी
1.	एन.सी.सी.	एन.सी.सी. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
2.	एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार
3.	रोवर–रेंजर	स्काउट एवं गाईड मुख्यालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार
4.	महिला प्रकोष्ठ/ मानव अधिकार प्रकोष्ठ आदि गतिविधियां	निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार

Estt - 1968

E-mail→ gcsujangarh@gmail.com
Phone & Fax No. 01581 - 280184

कार्यालय प्राचार्य, जी.एच.एस. राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़–331507 (राजस्थान)

क्रमांकः एफ 7 ( ) प्रवेश/अकाद/रामसु /2024–25/ 125-128 दिनांकः 30–04–2024

कार्यालय आदेश

आगामी शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए प्रवेश कार्य से सम्बन्धित दायित्व निर्वहन हेतु निम्नानुसार समितियों का गठन कर समितियों को आदेशित किया जाता है कि, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रवेश नीति की अनुपालना करते हुए प्रवेश कार्य सम्पन्न करेंगे। समितियां प्रवेश नियमावली एवं प्रवेश प्रकिया की सम्पूर्ण जानकारी के लिए विभाग की प्रवेश नीति 2024–25 एवं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमावली का गहनता से अध्ययन कर प्रवेश कार्य पूर्ण दक्षता से सम्पन्न करें। प्रवेश कार्यक्रम समन्वयक प्रतिदिन कार्य प्रगति से प्राचार्य को अवगत करायेंगे।

(अ) सम्पूर्ण प्रवेश कार्यक्रम समन्वयक – श्री प्रमोद कुमार

(ब) ऑनलाइन प्रवेश, विवरणिका में संशोधन एवं परिमार्जन का सम्पादक मण्डल का कार्य –
1. श्री रामनिवास मेघवाल –संयोजक 2. श्री रामप्रसाद स्वामी–सदस्य

(स) समय सारिणी समिति –1. श्री प्रमोद कुमार–संयोजक 2. डॉ. नीतिका ठोलिया – सदस्य कला संकाय
3. श्री धनाराम जानू– सदस्य वाणिज्य संकाय 4. श्री रामनिवास मेघवाल–सदस्य विज्ञान संकाय

(द) प्रवेश कार्यक्रम एवं प्रवेश समितियां–

कक्षा/प्रकोष्ठ	प्रवेश समिति	विशेष विवरण
Post Graduate	**Nodal Officer On Line Admission – Sh. Ram Niwash Meghwal**	
Graduate	**Nodal Officer On Line Admission – Sh. Pradeep Kumar Joshi**	
B.Sc.Pt-I	1. श्री योगेश कुमार कल्ला–संयोजक 2. श्रीमती पूजा शर्मा –सदस्य	
B.A.Pt-I	1. डॉ. नीतिका ठोलिया–संयोजक 2. श्री हरिलाल जांगिड–सदस्य 3. श्री धन्नाराम जानू–सदस्य 4. श्री अशोक कुमार जांगिड़–सदस्य	बी.ए. भाग प्रथम में विषय आवंटन का कार्य श्री प्रमोद कुमार (समन्वयक सम्पूर्ण प्रवेश कार्यक्रम) के मार्गदर्शन में किया जायेगा।
B.Com.Pt-I	1. श्री रामप्रसाद स्वामी–संयोजक 2. कु. दिव्या जांगिड़–सदस्य 3. श्री रविकान्त चाहर–सदस्य	
B.A.Pt-II	श्रीमती पूजा शर्मा–प्रभारी	
B.A.Pt-III	श्री धन्नाराम जानू–प्रभारी	
B.Com.Pt-II	श्री अशोक कुमार जांगिड़–प्रभारी	
B.Com.Pt-III	श्री हरिलाल जांगिड़–प्रभारी	
B.Sc.Pt-II & III	श्रीमती सीता शर्मा–प्रभारी	
All M.Com. (P) & (F)	1. कु. दिव्या जांगिड़– प्रभारी व्याव.प्रशासन 2. श्री अशोक कुमार जांगिड़– प्रभारी ई.ए.एफ.एम. 3. श्री रामप्रसाद स्वामी– प्रभारी ए.बी.एस.टी.	
M.A. (P) & (F) Hindi & Pol.Sc.	1. श्री विजय सिंह–संयोजक 2. श्री रविकान्त चाहर–सदस्य	
M.Sc. (P) & (F) Chemistry	1. श्री योगेश कुमार कल्ला–प्रभारी 2. श्रीमती सीता शर्मा–सदस्य	
M.Sc. (P) & (F) Maths	1. श्री रामनिवास मेघवाल–संयोजक 2. डॉ. नीतिका ठोलिया–सदस्य	
Govt. Girls College, Sandwa All Classes Nodal Officer & Admission Incharge- Sh. Vijay Singh, Astt. Professor		

नोट– आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा प्रवेश नीति जारी करने के पश्चात् ग्रीष्मावकाश में महाविद्यालय में उपस्थित प्रवेश कार्य सम्पादन हेतु पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्याजय, सुजानगढ़

कार्यालय प्राचार्य, जी.एच.एस. राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़–331507 (राजस्थान)

क्रमांकः एफ 7 ( ) प्रवेश/अकाद/रामसु /2024–25/ 125-128 दिनांकः 30–04–2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. आयुक्त महोदय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी।
3. संकायशाखा/रक्षित पंजिका।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़